

ग्रेटर नोएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं० 01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4,

ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/का०आ०/2018/1377

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण के बिल्डर्स विभाग के अंतर्गत आवंटियों पर लगभग रुपये 6000 करोड़ की अतिदेयता है। रियल एस्टेट बाजार की वर्तमान मंदी की स्थिति के कारण अधिकांश बिल्डर आवंटी अपनी परियोजना को पूर्ण करने एवं प्राधिकरण की अतिदेयता के भुगतान में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा 112वीं बोर्ड बैठक में रि-शिड्यूलमेंट की नीति प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/का०आ०/2018/1384 दिनांक 17.07.2018 द्वारा जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा दिनांक 31.08.2018 को समाप्त हो चुकी है। उसमें यह प्राविधिक किया गया था कि पूर्व में किये गये रि-शिड्यूलमेंट में जिन आवंटियों ने न्यूनतम 03 किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उनको रि-शिड्यूलमेंट की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। इस प्रतिबन्ध के कारण मात्र 43 आवंटियों ने आवेदन किया जिसमें से मात्र 15 आवंटी अर्ह पाये गये। बिल्डर आवंटियों ने मॉग की है कि उक्त प्रतिबन्ध के कारण वे रि-शिड्यूलमेंट की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें कम्पलीशन प्राप्त करने हेतु अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वह अपने प्रोजेक्ट्स का कम्पलीशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तथा बायर्स को फ्लैट का कब्जा हस्तगत नहीं करा पाये हैं। फ्लैट बायर्स के हितों को देखते हुए बिल्डर आवंटियों की मॉग तथा प्राधिकरण की वित्तीय तरलता बनाये रखने के दृष्टिगत प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2018 के अनुपूरक मद संख्या 113/4 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में 112वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन उपरान्त जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/ का०आ०/2018/1384 दिनांक 17.07.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. बिन्दु संख्या “क” में वर्णित कथन को निम्नानुसार संशोधित पढ़ा जाये:-

“प्राधिकरण की समस्त परिसम्पत्ति में पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की सुविधा 31 जनवरी, 2019 अथवा यदि शासन से पी.एस.पी. पॉलिसी प्राप्त होती है तो उसमें उल्लेखित तिथि तक, जो पहले हो, के लिये लागू रहेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी, जिन्होंने आवंटित परिसम्पत्ति का पट्टा प्रलेख निष्पादित करा लिया गया है।”

2. बिन्दु संख्या “ख” एवं “ख”(i & ii)” में वर्णित कथन को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

ख) अतिदेयता की पुनर्निर्धारण की सुविधा के अन्तर्गत मूल किश्तों के पेमेंट प्लान की अतिदेयता एवं पूर्व में पुनर्निर्धारित (Re-schedulement) सभी भुगतान तालिका की अतिदेयता तथा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की अतिदेयता को जोड़ते हुए आवेदक द्वारा रि-शिड्यूलमेंट के आवेदन के साथ कुल अनुमानित अतिदेयता की 08 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का चालान आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा। शेष अतिदेय धनराशि के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा—

- i) यदि आवंटी ने अब तक रि-शिड्यूलमेंट नहीं कराया है अथवा पूर्व में रि-शिड्यूलमेंट कराया है और रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान की तीन या तीन से अधिक किश्तों का भुगतान किया है तो उसे कुल अतिदेयता का 15 प्रतिशत (आवेदन के साथ जमा 08 प्रतिशत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 07 प्रतिशत धनराशि) का भुगतान मॉग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर जमा करना होगा।
- ii) यदि आवंटी ने पूर्व में रि-शिड्यूलमेंट कराया है और रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान की दो किश्तों का भुगतान किया है तो उसे कुल अतिदेयता का 17 प्रतिशत (आवेदन के साथ जमा

08 प्रतिशत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 09 प्रतिशत धनराशि) का भुगतान मॉग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर जमा करना होगा।

- iii) यदि आवंटी ने पूर्व में रि-शिड्यूलमेंट कराया है और रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान की केवल प्रथम किश्त का भुगतान किया है तो उसे कुल अतिदेयता का 18 प्रतिशत (आवेदन के साथ जमा 08 प्रतिशत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि) का भुगतान मॉग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर जमा करना होगा।
- iv) यदि आवंटी ने पूर्व में रि-शिड्यूलमेंट कराया है और रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया है तो उसे कुल अतिदेयता का 20 प्रतिशत (आवेदन के साथ जमा 08 प्रतिशत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 12 प्रतिशत धनराशि) का भुगतान मॉग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर जमा करना होगा।
- v) यदि आवंटी द्वारा पूर्व में रि-शिड्यूलमेंट कराया गया है तथा उनके दो पेमेंट प्लान (मूल पेमेंट प्लान व रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान) चल रहे हैं तथा रि-शिड्यूलमेंट पेमेंट प्लान की वर्तमान तक की देयता जमा है और मूल पेमेंट प्लान की किश्ते अतिदेय हैं, तो उसे कुल अतिदेयता की 15 प्रतिशत धनराशि (आवेदन के साथ जमा 08 प्रतिशत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 07 प्रतिशत धनराशि) का भुगतान मॉग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर करना होगा।
3. बिन्दु संख्या “च” में वर्णित कथन में “15 प्रतिशत धनराशि” के स्थान पर “संशोधित बिन्दु “ख”(i,ii,iii,iv & v) में निर्धारित प्रतिशत धनराशि” संशोधित पढ़ा जाये। शेष कथन पूर्ववत रहेगा।
4. बिन्दु “ज” को समाप्त माना जाये।
5. प्राधिकरण, विकासकर्ता एवं Lenders (बंधक कर्ता) के मध्य एक एस्क्रो एकाउंट खोला जायेगा, जिसके नियम व शर्तों के निर्धारण एवं अग्रिम कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

शेष नियम व शर्ते पूर्ववत ही रहेंगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(कृष्ण कुमार गुप्त)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसा कार्यालय आदेश को प्राधिकरण की बेव साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


14.12.18
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

F 75-44510

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं० 01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा

पत्रांक: ग्रेनो/बिल्डर्स/का०आ०/२०१८/ १३८५
दिनांक : १२ जुलाई, २०१८

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों से अतिदेयता की वसूली के दृष्टिगत अतिदेयता के रि-शिड्यूलमेंट हेतु प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 के मद संख्या-112/6 में निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है—

क) समस्त परिसम्पत्ति अनुभागों में पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की सुविधा 31 अगस्त, 2018 अथवा यदि शासन से पी.एस.पी. पॉलिसी प्राप्त होती है तो उसमें उल्लेखित तिथि तक, जो पहले हो, के लिये लागू रहेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी, जिन्होंने आवंटित परिसम्पत्ति का पटटा प्रलेख निष्पादित करा लिया गया है।

ख) अतिदेयता की पुनर्निर्धारण की सुविधा के अन्तर्गत मूल किश्तों के पेमेंट प्लान की अतिदेयता एवं पूर्व में पुनर्निर्धारित (Re-schedulement) सभी भुगतान तालिका की अतिदेयता तथा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की अतिदेयता को जोड़ते हुए प्रारम्भ में निम्नानुसार राशि पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी—

- i) 500 करोड़ से कम की अतिदेतया पर 15 प्रतिशत धनराशि आदेश निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जमा कराने पर अवशेष धनराशि पुनर्निर्धारित की जायेगी
- ii) 500 करोड़ से अधिक की अतिदेयता पर 500 करोड़ तक की धनराशि पर 15 प्रतिशत एवं 500 करोड़ से अधिक की धनराशि पर 10 प्रतिशत राशि मिला कर, जो धनराशि बनेगी उसे पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी। (उदाहरण: यदि किसी आवंटन में 600 करोड़ की अतिदेयता है तो 500 करोड़ की 15 प्रतिशत रु० 75 करोड़ तथा अवशेष 100 करोड़ की 10 प्रतिशत राशि रु० 10 करोड़ कुल रु० 85 करोड़ धनराशि पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी)

अवशेष अतिदेय धनराशि तथा भविष्य की सभी प्रकार की किश्तों को कैपीटलाइज (Capitalized) करते हुए कैपीटलाइज्ड धनराशि पर प्राधिकरण में वर्तमान में अनुमन्य ब्याज दर (11 प्रतिशत वार्षिक छमाही चक्रबृद्धि ब्याज) के आधार पर एक ही पेमेंट प्लान जारी किया जायेगा। डिफॉल्ट करने की दशा में 3 प्रतिशत अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज भी आवंटी को देना होगा।

ग) अतिदेय के पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने में प्रत्येक आवंटी/पटटा धारक से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि यदि उनके द्वारा पुनर्निर्धारण किश्तों तथा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटन पत्र/पटटा प्रलेख/उप पटटा प्रलेख में उल्लिखित किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो 3 किश्तों का डिफॉल्ट होने की दशा में प्राधिकरण बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर सकता है।

घ) यदि किसी प्रकरण में निर्धारित किश्तें जमा करने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो चुकी है और आवंटी द्वारा भूखण्ड/प्रोजेक्ट की पूरी धनराशि जमा नहीं की गई है। उन प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष की समय-सीमा प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में केस-टू-केस यथोचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिकृत होंगे। यदि किसी आवंटी को किसी भूखण्ड/प्रोजेक्ट में अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की जाती है तो नियमानुसार (14 प्रतिशत + 3 प्रतिशत दण्डात्मक = 17 प्रतिशत) दण्डात्मक ब्याज सहित किश्तों का पुनर्निर्धारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

इ) ऐसे प्रकरणों में आवंटी द्वारा प्रत्यावेदन सम्बन्धित परिसम्पत्ति अनुभाग में प्रस्तुत किया जायेगा। परिसम्पत्ति अनुभाग द्वारा पत्रावली में उक्त पत्र व्यवहारित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। वित्त विभाग नियमानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। यह आदेश पूर्व में पुनर्निर्धारण हेतु जारी समस्त आदेशों को अवक्षित करते हुए लागू होगा।

च) जिन आवंटियों को पी०ए०पी० पॉलिसी के अंतर्गत रि-शिड्यूलमेंट की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है और वे पुनः डिफॉल्ट कर चुके हैं, उनको भी वर्तमान तक की अतिदेयता का रि-शिड्यूलमेंट करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह सुविधा उन्हीं आवंटियों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा वर्तमान में 15 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करायी जायेगी। यदि किसी आवंटी ने पी०ए०पी० पॉलिसी के अंतर्गत पूर्व में 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया गया है तो उसे कैपिटलाईज करने के उपरान्त 15 प्रतिशत धनराशि वर्तमान नीति के अनुसार अलग से जमा करानी होगी। पूर्व में आंशिक रूप से जमा धनराशि का समायोजन नहीं किया जायेगा।

छ) आवंटी यदि 15 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि 30 दिनों के अंदर जमा नहीं करा पाते हैं तो उन्हें निर्धारित दण्ड ब्याज के साथ 30 दिनों का अतिरिक्त समय विस्तरण प्रदान किया जा सकता है। तदपश्चात भी देय धनराशि आवंटी द्वारा जमा नहीं की जाती है तो उक्त के अतिरिक्त 30 दिनों का समय विस्तरण केस-टु-केस के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा।

ज) जिन आवंटियों को पूर्व में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई थी, परन्तु जारी पेमेंट प्लान के अनुसार उन्होंने न्यूनतम 03 किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें भविष्य में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ६८८(२२००) RT -
5. वरिष्ठ कार्यपालक/प्रबन्धक (बिल्डर) को अनुपालनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Bal K.
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी